राज कुमार मौर्य
असिटेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
श्री गदाधर आचार्य जनता कालेज,
रामबाग, बिहटा, पटना

B.A. II Year (H) Paper - III (Blitical Sci)

विषय - मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

भारतीय संविधान के भाग - 4(A) एवं अनुच्छेद - 51 में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्त्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया।

वर्तमान समय में संविधान में मूल कर्तव्यों के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों के लिए 11 कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है।

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

1→ संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

Scanned with CamScanner

2→ स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।

3→ भारत की प्रभुता, एकता एवं अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य रखें।

4→ देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा को तत्पर रहें।

5→ भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश ~~6→ हमारी~~ या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विपरीत हों।

6→ हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।

Scanned with CamScanner

7 ⇒ प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणीमात्र पर दयाभाव रखें।

8 ⇒ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

9 ⇒ सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।

10 ⇒ व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए अपने लक्ष्य और उपलब्धि की नई ऊचाईयों को छू लें।

11 ⇒ माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि छह से चौदह (6-14) वर्ष की आयु वाले अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

नीति निदेशक तत्वों की भाँति मूल कर्तव्यों को लागू कराने के

Scanned with CamScanner

लिए न्यायपालिका का सहारा नहीं लिया जा सकता है और न ही मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान है; लेकिन यदि संसद कानून निर्माण के द्वारा किसी मौलिक कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य घोषित करती है, तो उस स्थिति में उस मूल कर्तव्य का अगर नहीं पालन किया जाता है तो यह दण्डनीय अपराध होगा जैसे ⇒ राष्ट्रध्वज का सम्मान।

Scanned with CamScanner